COMPENSATION PACKAGE

क्र.सं.	पद का नाम Name of post	वेतन मैट्रिक्स में वेतन (7वे केन्द्रीय आयोग के द्वारा
Sl.	TANK II Traine of post	संशोधित वेतन अनुसार Pay in Pay Matrix Level (As
No.		per 7 th CPC Revised Pay)
1	,	सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के तहत संशोधित वेतन
		संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के लेवल-7 में प्रारंभिक वेतन
	नर्स/ए (पुरुष/महिला) – Nurse/A (Male/Female)	₹44,900/-1
	Nuise/A (Maie/Female)	Initial Pay of ₹44,900/- in level-7 of Revised Pay
		Structure (Pay Matrix) under CCS (RP) Rules, 2016.
2	32 00 3 0	सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के तहत संशोधित वेतन
	पैथोलॉजी लैब तकनीशियन (वैज्ञानिक	संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के लेवल-6 में प्रारंभिक वेतन
	सहायक/बी) Pathology Lab Technician	₹35,400/-1
	(Scientific Assistant/B)	Initial Pay of ₹35,400/- in level-6 of Revised Pay
3		Structure (Pay Matrix) under CCS (RP) Rules, 2016. सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के तहत संशोधित वेतन
		संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के लेवल-5 में प्रारंभिक वेतन
	फार्मासिस्ट/बी	₹29,200/-1
	Pharmacist/B	Initial Pay of ₹29,200/- in leve-5 of Revised Pay
		Structure (Pay Matrix) under CCS (RP) Rules, 2016.
4	वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ तकनिशयन	प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के उपरांत, प्रशिक्षार्थियों को
	(एसटी/टीएन) (श्रेणी-॥) प्लांट आपरेटर	सीसीएस (आरपी) नियम 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतन
	Stipendiary Trainee/Technician(ST/TN)	संरचना (वेतन मैट्रिक्स)में स्तर 3 में ₹21700/-वेतन पर
	(Category-II) –Plant Operator	तकनीशियन/बी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया
5		जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के
	·	दौरान कार्य निष्पादन के आधार पर सुपात्र अभ्यर्थियों को
		अतिरिक्त वेतन वृद्धि/यां भी प्रदान की जा सकती हैं। After
	वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ तकनिशयन (एसटी/टीएन)	successful completion of training, the trainees are likely
	(श्रेणी-॥ मैन्टैनेर Stipendiary Trainee/Technician (ST/TN)	to be considered for appointment to the post of
	(Cat-II)- Maintainer	Technician/B in the pay of ₹21700/- in level 3 of Revised Pay Structure (Pay Matrix) under CCS (RP)
	(Cut II) Wallitamor	Rules, 2016. Additional increment/s, as per extant
	•	rules, depending upon performance during training
		program may also be granted to deserving candidates.
6	वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु/ डेंटल तकनीशियन–	सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के तहत संशोधित वेतन
	मैकेनिक Stipendiary Trainee/Dental	संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के लेवल-5में प्रारंभिक वेतन
	Technician (Mechanic)	₹29,200/-1
		After successful completion of 2 yrs. Of training, the trainee is likely to be considered the appointment to the
		post of Technician-D in the Initial Pay of ₹29,200/- in
		level-5 of Revised Pay Structure (Pay Matrix) under
	200	CCS (RP) Rules, 2016.
7.	एक्स-रे तकनीशियन (तकनीशियन/सी)	सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के तहत संशोधित वेतन
	X-Ray Technician (Technician/C)	संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के लेवल 4 में प्रारंभिक वेतन
		₹25,500/-1
		Initial Pay of ₹25,500/- in level 4 of Revised Pay
		Structure (Pay Matrix) under CCS (RP) Rules, 2016.

उपर्युक्त वेतन के अतिरिक्त अन्य भले एवं सुविधाएं जैसे कि महंगाई भला, परिवहन भला, मकान किराया भला/हाऊसिंग, साइट लोकेशन भला, अपडेट भला, छुट्टी यात्रा भत्ता, छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण, स्वयं और आश्रितों हेतु चिकित्सा सुविधा, टाउनिशप के अंदर बच्चों हेतु शिक्षा सुविधा, संतान शिक्षा सहायता, केबल टीवी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्रों के प्रभार की प्रतिपूर्ति, कैंटीन सबिसडी, निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, ब्याज धारित अग्रिम (गृह निर्माण एवं सामान्य प्रयोजन), कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा, हितकारी निधि, समूह बीमा आदि भी निगम के प्रचलित नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं।

In addition to pay as above, other allowances and facilities like dearness allowance, transport allowance, House rent allowance/housing, Site Location allowance, Update allowance, Leave Travel Allowance, Leave and Leave encashment, medical facility for self and dependant, Education facility for children within township, Children Education Assistant, reimbursement of cable TV charges, reimbursement of Newspaper charges, canteen subsidy, performance linked incentive scheme, interest bearing advances (House Building and General Purpose), Employees Provident Fund, Gratuity, Post retirement medical facility, benevolent fund, Group insurance etc are also available as per extant rules of corporation.